रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092025-266150
CG-DL-E-14092025-266150

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2025/भाद्र 21, 1947
No. 582] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2025/BHADRA 21, 1947

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 626(अ).— निम्नलिखित भर्ती नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त भर्ती नियमों के प्रारूप पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिसको आधिकारिक राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं;

इन मसौदा भर्ती नियमों पर आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो निदेशक, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 ईमेल: anrf-director@anrf.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

उक्त मसौदा भर्ती नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों या सुझावों, यदि कोई हों, पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, लेखा अधिकारी की भर्ती पद्धति, वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2025 है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवर्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रतिष्ठान" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अभिप्रेत है;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, और

(घ) जो शब्द और वाक्यांश इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अभिप्राय होंगे जो इस अधिनियम में उनके लिए नियत किए गए हैं।

3. आवेदन.- ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

5. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. नियुक्ति प्राधिकारी.- प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

7. चिकित्सा सुविधा: बोर्ड के अधिकारी नीचे विनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधा के हकदार होंगे:

क) बाहरी चिकित्सा उपचार.– (1) अधिकारी स्वयं एवं घोषित परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण: *इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "परिवार" शब्द का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 में दिया गया है।*

(2) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या वर्ष की पहली जनवरी को एक माह के वेतन (मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता) जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

बशर्ते कि वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि या पदोन्नति जारी होने से 1 जनवरी की सीमा प्रभावित नहीं होगी।

(3) चिकित्सा दावे के समर्थन में चिकित्सा अधिकारी का पर्चा और उपचार तथा दवाओं की खरीद के मूल कैश मेमो या बिल होने चाहिए, जो चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर से प्रमाणित होने चाहिए।

(4) 1 जनवरी के बाद वर्ष के दौरान ड्यूटी में शामिल होने वाले अधिकारी के लिए वार्षिक पात्रता आनुपातिक आधार पर प्रतिबंधित होगी।

(5) आउटडोर उपचार केवल फाउंडेशन द्वारा विधिवत पैनलबद्ध प्राधिकृत चिकित्सा परिचारकों से ही प्राप्त किया जाएगा।

(6) दीर्घकालिक बीमारियों के मामले में, दवाओं और परीक्षणों की लागत, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त या कवर किए गए अस्पतालों का परचा स्वीकार्य होगा।

(7) लागत गहन उपचार के प्रयोजनों के लिए, प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना या केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिचारक नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट दरों पर, अलग-अलग मामले के आधार पर प्रतिष्ठान के अनुमोदन से स्वीकार्य होगी।

(8) आपातकालीन स्थिति में, अधिकारी निकटतम अस्पताल में उपचार प्राप्त कर सकता है और चिकित्सा अधिकारी या अस्पताल प्राधिकारी द्वारा आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ख) इनडोर चिकित्सा उपचार.- (1) इनडोर चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए, अधिकारी इस संबंध में प्रतिष्ठान द्वारा अधिकृत अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने के लिए पात्र होगा और इस प्रयोजन के लिए अस्पताल आवास, नर्सिंग होम सुविधा सहित उपचार की लागत केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 के प्रावधानों के अनुसार होगी, जो वेतन मैट्रिक्स में समकक्ष वेतन प्राप्त करने वाले केंद्रीय सरकार अधिकारियों पर लागू होती है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार वही होगा जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचारक) नियम, 1944 के अनुसार उपचार प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए अनुमेय है।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार, आपातकालीन मामलों को छोड़कर केवल प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर ही प्राप्त किया जाएगा।

8. सेवानिवृत्ति लाभ: नई पेंशन योजना/एकीकृत पेंशन योजना/ग्रेच्युटी आदि के प्रावधान, जो संबंधित वेतन स्तर के केंद्रीय सरकारी अधिकारियों पर लागू होते हैं, प्रतिष्ठान के अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

9. अनर्हता:- वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त

पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु कि यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

10. अवशिष्ट उपबंध.- अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को धारण करने वाले अधिकारी की सेवा की शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध विनिर्दिष्ट नहीं है, वेतन मैट्रिक्स में समतुल्य वेतन पाने वाले केंद्रीय सरकार के अधिकारियों पर उस समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

11. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिए आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

12. शिथिलन की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकती है।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चाहे चयन पद हो या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. लेखा अधिकारी.	1 * (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन.	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'बी' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (Rs.53,100-1,67,800).	गैर-चयन.	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अल्पकालिक अनुबंध सहित पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
(11)
क) प्रोन्नति: i) अनुभाग अधिकारी जिसने वेतन मैट्रिक्स (47,600-1,51,100 रुपये) या समकक्ष में स्तर-8 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या ii) अनुभाग अधिकारी जिसने वेतन मैट्रिक्स (44,900 - 1,42,400 रुपये) या समकक्ष में स्तर-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा की हो। नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में उपरोक्त निर्धारित वर्षों की सेवा वाले विभागीय अनुभाग अधिकारियों पर भी प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उन्हें पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। **टिप्पणी-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के बारे में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ,

जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। (ख) **प्रतिनियुक्ति**: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी या वैधानिक या स्वायत्त संगठन के अधिकारी, - (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (47,600-1,51,100 रुपये) या समकक्ष में स्तर-8 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स (44,900-1,42,400 रुपये) या समकक्ष में स्तर-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित योग्यताएं रखने वाले: - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की डिग्री; या (ii) उपर्युक्त केन्द्रीय/राज्य कार्यालयों में रोकड़, लेखा और बजट कार्य में कम से कम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे,- (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी – अध्यक्ष, (2) प्रतिष्ठान के निदेशक – सदस्य, (3) प्रतिष्ठान के वैज्ञानिक-ई – सदस्य।	लागू नहीं।

[फा. सं. आरआर/ऐऐनआरएफ/सीएफओ, सीओओ एवं ऐओ/2025]

सुनील कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2025

G.S.R. 626(E).— The following draft of recruitment rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), is hereby published for information of persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft recruitment rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft recruitment rules, if any, may be sent to the Director, Anusandhan National Research Foundation, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 email: anrf-director@anrf.gov.in.

The objections or suggestions, if any, received from any person in respect of the said draft recruitment rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. Short title and commencement.— (1) These Rules may be called the Anusandhan National Research Foundation, Method of Recruitment, Salary and Allowances and other Terms and Conditions of Service of Accounts Officer Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023);

(b) "Foundation" means the Anusandhan National Research Foundation established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

(c) "Schedule" means Schedule appended to these rules, and

(d) words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Application.- These rules shall apply to post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of said post, their classification and level in pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

6. Appointing authority.- The Chief Executive Officer of the Foundation shall be the appointing authority for the post specified in column (1) of the Schedule.

7. **Medical Facility:** The officers of the Board shall be entitled to medical facility as specified below:

a) Outdoor medical treatment.– (1) The officer shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

***Explanation*:** For the purposes of this rule, the expression "family" shall have the meaning assigned to it in the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

(2) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on the 1st day of January of the year (basic pay plus dearness allowance) whichever is less:

Provided that release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on the 1st day of January.

(3) The medical claim shall be supported by medical officer's prescription and the original cash memos or bills for treatment and purchase of medicines duly signed and authenticated with the signature and seal of the medical officer.

(4) For officer joining the duty during the year after the 1st day of January, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(5) The outdoor treatment shall be availed only from the Authorised Medical Attendants duly empanelled by the Foundation.

(6) In case of chronic ailments, prescription from the hospitals recognised or covered under the Central Service Medical Attendance Rules, 1944 or the Central Government Health Scheme shall be admissible for the purposes of reimbursement of the cost of medicines and tests, if any.

(7) For the purposes of cost intensive treatment, the reimbursement shall be admissible at the rates specified in accordance with the provisions of the Central Government Health Scheme or the Central Services Medical Attendants Rules, 1944 with the approval of the Foundation on a case to case basis.

(8) In case of emergency, the officer may avail treatment at the nearest hospital and expenditure shall be reimbursed as per the rates specified under the Central Government Health Scheme subject to production of emergency certificate from the medical officer or the hospital authorities.

b) Indoor medical treatment.- (1) For the purposes of indoor medical treatment, the officer shall be eligible to avail treatment in hospitals authorised by the Foundation in this behalf and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government officers drawing equivalent salary in pay matrix.

(2) The treatment in authorised hospitals referred to in sub-rule (1) shall be the same as may be admissible to the Central Government officers availing the treatment in accordance with the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944.

(3) The treatment at authorised hospitals referred to in sub-rule (1) shall be availed only on the advice of the Authorised Medical Attendant, except in emergency cases.

8. Retirement Benefits: The provision of the New Pension Scheme/Unified Pension Scheme/gratuity, etc. as applicable to central government officers of corresponding pay levels shall be applicable to the officers of the foundation.

9. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. Residuary provision. - The conditions of service of the officer holding posts specified in column (1) of the Schedule for which no express provision is specified in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to officers of the Central Government drawing equivalent salary in pay matrix.

11. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Schedules Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard.

12. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Accounts Officer.	1 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-9 in the pay matrix (Rs.53,100-1,67,800).	Non-selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion/Deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which the promotion or deputation to be made .
(11)
a) Promotion: i) Section Officer with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-8 in the pay matrix (Rs.47,600 -1,51,100) or equivalent; or ii) Section Officer with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-7 in the pay matrix (Rs.44,900 – 1,42,400) or equivalent. The departmental Section Officers with the above prescribed number of years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis will also be considered along with deputationists and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **b) Deputation**: Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or Public Sector Undertaking or recognised Research Institution or University or Semi Government or Statutory or Autonomous organisation, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-8 in the pay matrix (Rs.47,600 -1,51,100) or equivalent; or (iii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-7 in the pay matrix (Rs.44,900 – 1,42,400) or equivalent; and (b) possessing the following qualifications: - (i) Degree of a recognized University/Institutions; or (ii) Atleast 03 (three) years' experience in Cash, Account and Budget work in a Central/State offices mentioned above. **Note 1.-** The period of deputation, including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government or State Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee consisting of,- (1) Chief Executive Officer – Chairperson, (2) Director of Foundation – Member, (3) Scientist-E of the Foundation – Member.	Not applicable.

[F. No. RR/ANRF/CFO,COO&AO/2025]

SUNIL KUMAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.14 15:35:23 +05'30'